[2021] 9 एस. सी. आर. 489

पी. सत्यनारायण

बानाम

नंद्याला राम कृष्ण रेड्डी

(2021 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.11286)

16 दिसंबर, 2021

[हेमंत गुप्ता और वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

मुक़दमा-प्रतिवादी-वादी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा करने के लिए मुक़दमा दायर किया कि वह मुक़दमे की संपत्ति का पूर्ण मालिक है-यह भी माँगा गया

याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को रोकने वाला अंतरिम निषेधाज्ञा

उसके कब्जे में हस्तक्षेप करते हुए-अंतर्वर्ती आवेदन खारिज-प्रतिवादी द्वारा अपील-अनुमत-याचिका में नोटिस जारी करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी के विक्रेता द्वारा पूर्व मुकदमे को वापस लेने का असर इस पर पड़ेगा -

वर्तमान मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना-आयोजित: प्रत्यर्थी के विक्रेता द्वारा दायर पूर्व मुकदमा केवल स्थायी के लिए एक मुकदमा था

कब्जा से संबंधित किसी भी निष्कर्ष को दर्ज किए बिना निषेधाज्ञा के लिए आवेदन को खारिज करने और खारिज करने का कोई परिणाम नहीं था पिछली कार्यवाही प्रतिवादी के वर्तमान मुकदमा दायर करने और निषेधाज्ञा की मांग करने के तरीके में बाधा नहीं होगी।

उच्च न्यायालय का विवादित आदेश आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1950 में किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है - धारा 38-ई-भारत का संविधान-Art.136-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.XLIII, आर. 1.

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1.1 उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए कहा: (i) कि प्रतिवादी के पूर्ववर्ती-वादी को एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था

आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1950 की धारा 38-ई के तहत दिनांक पी-21 दिनांक 16.12.1975 के तहत प्रदर्शित करें; (ii) कि उक्त प्रमाण पत्र

प्रतिवादी वादी के पूर्ववर्ती के पक्ष में स्वामित्व के पारित होने को दिखाने के लिए पर्याप्त प्रमाण है; (iii) कि पी-17 प्रदर्शित करें, जो फॉर्म 1-बी (कृषि भूमि अधिनियम, 1950 का रिकॉर्ड) है।

अधिकार) से पता चलता है कि प्रथम दृष्टया प्रतिवादी मुकदमे की स्थापना की तारीख को भूमि के कब्जे में था; और (iv) इसलिए, कब्जे में व्यक्ति अंतरिम अधिकार का हकदार था।

संरक्षण का आदेश। उच्च न्यायालय ने इंगित किया कि जिस व्यक्ति के तहत प्रतिवादी ने अधिकार का दावा किया है, वह अधिनियम की धारा 38-ई के तहत प्रत्यर्थी के पूर्ववर्ती के पक्ष में प्रमाण पत्र जारी करने के बाद दिनांकित 08.07.1980 के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता था-16.12.1975 पर वादी। जहाँ तक प्रत्यर्थी वादी के विक्रेता द्वारा दायर पूर्व मुकदमे का संबंध है, उच्च न्यायालय ने बताया कि यह केवल स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा था और कब्जे से संबंधित किसी भी निष्कर्ष को दर्ज किए बिना निषेधाज्ञा के लिए आवेदन को खारिज करने का कोई परिणाम नहीं था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि प्रदर्शनी पी-22 के तहत, जो वर्ष 2003-2004 के लिए पहाड़ी है, सर्वेक्षण में भूमि का उप-विभाजन सर्वेक्षण संख्या 272/ए और 272/ए. ए. में किया गया था और सर्वेक्षण संख्या 200 के संबंध में बाद के सभी वर्षों के पहानियों को। 272 / ए पक्ष में थे पूर्ववर्तियों का-प्रत्यर्थी के शीर्षक में-वादी। इन निष्कर्षों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को उलट दिया और इसके पक्ष में एक अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की

प्रतिवादी-वादी। इसलिए, यह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप का मामला नहीं है। [पैरा 10 13] [493-जी-एच; 494-सी-डी; 495-ए-बी]

1.2 जिस समय इस न्यायालय ने 2.08.2021 पर उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका में नोटिस का आदेश दिया था, उस समय यह न्यायालय प्रभावित हुआ था

प्रथम दृष्टया इस तर्क के साथ कि प्रतिवादी-वादी के विक्रेता द्वारा पूर्व मुकदमे को वापस लेने का वर्तमान मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए अनुरोध पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उच्च न्यायालय के आदेश के पैराग्राफ 52 में कारण दर्ज किए गए हैं कि उच्च न्यायालय ने क्यों सोचा कि पिछली कार्यवाही प्रतिवादी-वादी द्वारा वर्तमान मुकदमा दायर करने और निषेधाज्ञा की मांग करने के रास्ते में बाधा नहीं होगी। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया है, आवेदन को खारिज करने के लिए

पूर्व मुकदमे में निषेधाज्ञा, इस तथ्य के कारण थी कि तस्वीरों में भूमि को एक खुली खाली भूमि दिखाया गया था। [पारस 14,16] [495-बी-सी, जी-एच]

थोटा श्रीधर रेड्डी और अन्य। बनाम मंडला रामुलम्मा और अन्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 851-पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.11286।

सिविल विविध अपील में तेलंगाना राज्य, हैदराबाद के लिए उच्च न्यायालय के दिनांक 02.06.2021 के निर्णय और आदेश से

2020 का No.421।

पी. सत्यनारायणा बनाम नंद्याल राम कृष्ण

रेड्डी

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डी. वेंकट रेड्डी, सुश्री महक जग्गी, सुदिप्तो सरकार, चल्ला विवेकानंद रेड्डी, पोन्नम महेश बाबू,

सोमनाद्री गौड़ कटम, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए। डी. रामकृष्ण रेड्डी, एस. आसिफ अली जैदी, श्रीमती डी. भारती रेड्डी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

1. इसमें प्रत्यर्थी ने एक मुकदमा दायर किया (i) एक घोषणा के लिए कि वह मुकदमे की अनुसूची के कब्जे और आनंद में पूर्ण मालिक है।

सम्पत्ति; (ii) एक और घोषणा के लिए कि उपहार निपटान विलेख

2. लंबित मुकदमे में प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को उसके शांतिपूर्ण आनंद और अधिकार में हस्तक्षेप करने से रोकने वाले निषेधाज्ञा के अंतरिम आदेश के लिए एक अंतर्वर्ती आवेदन भी दायर किया। सूट की संपत्ति। 11.02.2020 दिनांकित एक आदेश द्वारा, ट्रायल कोर्ट ने निषेधाज्ञा के लिए आवेदन को खारिज कर दिया।

3. बर्खास्तगी के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, प्रतिवादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLIII, नियम 1 के तहत अपील दायर की। एक द्वारा

हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और वाद के निपटारे तक प्रतिवादी के पक्ष में निषेधाज्ञा का एक अंतरिम आदेश दिया। यह उक्त आदेश के खिलाफ है कि मुकदमे में प्रतिवादी वर्तमान विशेष अनुमति याचिका के साथ आया है।

4. हमने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान और श्री डी. रामकृष्ण रेड्डी को सुना है। प्रत्यर्थी की ओर से पेश अधिवक्ता।

5. सर्वेक्षण संख्या 272/ए में तुर्कायमजल गाँव, हयातनगर राजस्व मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना में कुल 2.20 गीगावाट में से 1 गीगावाट एकड़ कृषि भूमि सूखी है। मुक़दमे में प्रतिवादी-वादी का मामला था:

कि उन्होंने एक के तहत सूट अनुसूची संपत्ति खरीदी

((i)

एक मेकला से दिनांकित 09.12.2015 पंजीकृत बिक्री विलेख

कि उक्त मेकला राम रेड्डी ने सूट खरीदा था

((ख)

से 25.11.2008 दिनांकित पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत संपत्ति

एक पन्नाला राम रेड्डी और अन्य;

(iii)

कि खरीद के बाद, उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड को परिवर्तित कर दिया

उसके नाम पर;

((iv)

कि वादी के विक्रेता ने पट्टा धारण किया No.1159

और स्वयं उत्तरदाता को इसके तहत एक पट्टादार पासबुक मिली

पट्टा No.1464;

कि जब उन्होंने एक परिसर की दीवार का निर्माण शुरू किया और

(v)

जनवरी, 2016 में मुक़दमा संपत्ति में एक कमरा, प्रतिवादी
हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, प्रतिवादी को मजबूर किया-वादी

6.01.2016 पर पुलिस शिकायत दर्ज करें;

(vi) कि चूंकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए याचिकाकर्ता प्रतिवादी 08.01.2016 पर मौके पर आया और परिसर की दीवार को ध्वस्त करने का प्रयास किया;

(vi) कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने भी परिसर की दीवार के निर्माण को स्वीकार करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

प्रतिवादी वादी;

कि जब उसने पुलिस की शिकायत को पढ़ा, तो उसे पता चला

(v)

कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी दिनांकित 24.07.1987 उपहार निपटान विलेख के आधार पर अधिकार का दावा कर रहा था;

(vi) तथापि, तहसीलदार के कार्यालय के साथ की गई पूछताछ से संकेत मिलता है कि जो कुछ उसके कब्जे में था

याचिकाकर्ता-प्रतिवादी सर्वेक्षण No.272/AA में भूमि थी और

सर्वेक्षण No.272/A नहीं; और

(vii) कि, इसलिए, वह मुकदमा दायर करने के लिए विवश था।

6. लिखित बयान में, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने दावा किया:

((i)

कि प्रतिवादी के विक्रेता-वादी ने पहले किया था
2015 के ओएस No.603 में एक मुकदमा दायर किया गया जिसमें एक डिक्री की मांग की गई थी

स्थायी निषेधाज्ञा;
कि उक्त में दायर अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन

((ख)

11.08.2015 पर मुकदमा खारिज कर दिया गया था;

(iii) कि इसके बाद, प्रतिवादी-वादी के विक्रेता ने एक पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत वादी को संपत्ति बेच दी।

दिनांकित 9.12.2015;

((iv) ऐसी बिक्री के बाद, प्रतिवादी का विक्रेता-वादी

2.03.2016 पर दबाए बिना अपना सूट वापस ले लिया; पी. सत्यनारायणा बनाम।

नंद्याल राम कृष्ण रेड्डी [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को मुकदमा अनुसूचित संपत्ति मिली

(v)

एक उपहार निपटान विलेख दिनांक 24.07.1987 के तहत;

(vi)

कि, इसलिए, बाद के सभी बिक्री लेनदेन मान्य नहीं हैं;

कि राजस्व अभिलेखों में कोई परिवर्तन और जारी करना

(vii)

पट्टादार पासबुक का कोई महत्व नहीं है; और

(viii) कि, इसलिए, मुकदमा खारिज होने योग्य था।

7. अपने दावे को साबित करने के लिए, प्रतिवादी-वादी ने अपने पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख, अपने विक्रेता के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख, अपने विक्रेता के नाम पर मूल पट्टादार पासबुक, अपने नाम पर मूल पट्टादार पासबुक, उत्परिवर्तन के लिए मूल कार्यवाही, वादी के पक्ष में वर्ष 2007 से 2015 के लिए पहानियों की प्रतियां, सर्वेक्षण No.272/AA के संबंध में प्रतिवादी के पक्ष में वर्ष 2015 के लिए पहाड़ी और पुलिस शिकायतों की प्रतियां दायर कीं।

8. याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने अपनी ओर से अपने पक्ष में उपहार निपटान विलेख दिनांक 24.07.1987, दिनांक 08.07.1980 का बिक्री विलेख दायर किया।

स्वयं की और अपने पूर्ववर्ती की रायथू पासबुक, बोझ प्रमाण पत्र, वाद की प्रतियां और पूर्व वाद में लिखित बयान, पूर्व वाद में निषेधाज्ञा के लिए आवेदन को खारिज करने का आदेश, वापस लेने के बाद पूर्व वाद को खारिज करने का आदेश और उच्च न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा दायर रद्द याचिका की प्रति।

9. विचारण न्यायालय ने निषेधाज्ञा के लिए आवेदन को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि विक्रेता द्वारा दायर किया गया मुकदमा

प्रतिवादी-वादी को बर्खास्त करने के बाद वापस ले लिया गया था

निषेधाज्ञा के लिए अंतरिम आवेदन; कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी द्वारा दायर राजस्व प्रभाग अधिकारी दिनांक 2 की कार्यवाही से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के कब्जे और आनंद में था; और चूंकि सर्वेक्षण 1 में भूमि के उप-विभाजन को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए प्रतिवादी-वादी द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुदान के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था।

10. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उलटते हुए

ट्रायल कोर्ट के आदेश में कहा गया है: (i) कि प्रत्यर्थी के पूर्ववर्ती-वादी को आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) की धारा 38-ई के तहत प्रदर्शनी पी-21 दिनांक 16.12.1975 के तहत एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1950; (ii) कि उक्त प्रमाण पत्र पूर्ववर्ती के पक्ष में स्वामित्व के पारित होने को दिखाने के लिए पर्याप्त प्रमाण है। प्रत्यर्थी-वादी का; (iii) पी-17 प्रदर्शित करें, जो फॉर्म 1-बी [2021] 9 एस. सी. आर. है।

(अधिकारों के अभिलेख) से पता चलता है कि प्रथम दृष्टया प्रतिवादी मुकदमे की स्थापना की तारीख को भूमि के कब्जे में था; और (iv) इसलिए, कब्जे में व्यक्ति एक अंतरिम आदेश का हकदार था -

संरक्षण।

11. उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता प्रतिवादी द्वारा दायर प्रदर्शनी आर-6 को भी पाया जो 08.04.1996 पर जारी अधिभोग अधिकार प्रमाण पत्र है।

अविश्वसनीय होने के नाते, प्रतिवादी के शीर्षक में पूर्ववर्ती के रूप में-वादी को पहले ही उपरोक्त अधिनियम की धारा 38-ई के तहत एक प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका था। उच्च न्यायालय ने बताया कि जिस व्यक्ति के तहत प्रतिवादी ने खिताब का दावा किया था, उसका नाम गोपम्मा यादैया है।

प्रत्यर्थी के पूर्ववर्ती के पक्ष में अधिनियम की धारा 38-ई के तहत प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, दिनांक 08.07.1980 के बिक्री विलेख के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता था-16.12.1975 पर वादी।

12. जहाँ तक प्रतिवादी वादी के विक्रेता द्वारा दायर पूर्व मुकदमे का संबंध है, उच्च न्यायालय ने बताया कि यह केवल एक मुकदमा था

स्थायी निषेधाज्ञा के लिए और यह कि कब्जे से संबंधित किसी भी निष्कर्ष को दर्ज किए बिना निषेधाज्ञा के लिए आवेदन को खारिज करने का कोई परिणाम नहीं था। उच्च के आक्षेपित क्रम का प्रासंगिक भाग

अदालत इस प्रकार पढ़ती है:

" 52. ऐसा प्रतीत होता है कि इसने 2015 के आई. ए. सं. 510 में 2015 के ओ. एस. सं. 603 (उदा. आर 10)। उक्त आदेश में, रंगा रेड्डी जिले के प्रधान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ने केवल यह टिप्पणी की कि तस्वीरें

अपीलार्थी के विक्रेता द्वारा दायर की गई भूमि से पता चलता है कि भूमि बिना किसी निर्माण के खुली भूमि है और इसलिए प्रतिवादी की संपत्ति भी थी, और हवा और प्रकाश के सहजता अधिकार निर्धारित अधिकार हैं, और अपीलार्थी के विक्रेता को निर्धारित अवधि के लिए उक्त अधिकारों का अधिग्रहण साबित करना होगा। उसमें अधिकार और आनंद की कमी का कोई उल्लेख नहीं है।

अपीलार्थी के विक्रेता से। निचली अदालत द्वारा दर्ज उपरोक्त निष्कर्ष भी ए. सी. एस. के चारों ओर एक परिसर दीवार बनाने के प्रतिवादी के दावे का खंडन करता है। 2.00 जीटीएस। जैसा कि पैरा सं. में कहा गया है, भूमि और उसके कब्जे में। 4 लिखित वक्तव्य में

2015 के ओ. एस. सं. 603 में दाखिल किया गया।"

13. उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि प्रदर्शनी पी-22 के तहत, जो वर्ष 2003-2004 के लिए पहाड़ी है, का एक उप-विभाजन था

सर्वेक्षण संख्या 272/ए और 272/ए. ए. में सर्वेक्षण No.272 में भूमि और वह पी. सत्यनारायणा बनाम.

नंद्याल राम कृष्ण रेड्डी [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

और प्रतिवादी-वादी के पक्ष में एक अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की। इसलिए, हमें नहीं लगता कि यह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप का मामला है। 14. उस समय जब इस न्यायालय ने 2.08.2021 पर उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका में नोटिस का आदेश दिया था, तो यह न्यायालय प्रथम दृष्टया प्रभावित था

यह तर्क कि प्रतिवादी-वादी के विक्रेता द्वारा पूर्व वाद को वापस लेने का वर्तमान वाद में अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, इस न्यायालय ने 2.08.2021 पर नोटिस का आदेश देते हुए निम्नानुसार दर्ज किया:

" याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि

वादी के पूर्ववर्ती ने 2015 का ओ. एस. No.603 दायर किया जिसमें 2 एकड़ मापने वाले सर्वेक्षण No.272 विज्ञापन वाली 1 एकड़ जमीन के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा का दावा किया गया था। इस तरह के मुकदमे को खारिज कर दिया गया क्योंकि 02.03.2016 पर दबाव नहीं डाला गया था। वादी ने 09.12.2015 पर सर्वेक्षण No.272 में शामिल संपत्ति खरीदी है। खरीदार ने खरीद के बाद मुकदमा दायर किया

भूमि जिसके संबंध में वादी के पूर्ववर्ती ने

सूट वापस ले लिया। इसलिए, 2 वादी का मुकदमा नहीं था

बनाए रखने योग्य।

नोटिस, चार सप्ताह के भीतर वापस करने योग्य। इस बीच, पार्टियों

कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखना।

15. उपरोक्त आदेश के आधार पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने तर्क दिया कि

प्रतिवादी-वादी एक खरीदार था और जब उसका

मुकदमा स्वयं कानून द्वारा वर्जित है, उसे अंतरिम निषेधाज्ञा से पुरस्कृत नहीं किया जा सकता है। 16. लेकिन हम उक्त निवेदन से प्रभावित नहीं हैं। हम पहले ही उच्च न्यायालय के आदेश के अनुच्छेद 52 को निकाल चुके हैं जो

उच्च न्यायालय ने क्यों सोचा कि पिछली कार्यवाही प्रतिवादी के रास्ते में बाधा नहीं होगी, इसके कारणों को दर्ज करता है। वादी वर्तमान मुकदमा दायर करता है और निषेधाज्ञा की मांग करता है। जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही कहा, पूर्व मुकदमे में निषेधाज्ञा के लिए आवेदन को खारिज करना, इस तथ्य के कारण था कि तस्वीरों में भूमि को एक खुली खाली भूमि के रूप में दिखाया गया था।

17. थोटा श्रीधर रेड्डी और ओआरएस में। बनाम मंडला रामुलम्मा और अन्य 1, इस न्यायालय को किरायेदारी अधिनियम की धारा 38-ई द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर विस्तार से विचार करने का अवसर मिला था।

18. उक्त निर्णय का अनुच्छेद 48 जो इस प्रकार है:

वास्तव में विवादित आदेश के पैराग्राफ 49 में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

" अधिभोग अधिकार प्रमाणपत्र देने और बाद में वापस लिए जाने के खिलाफ संरक्षित किरायेदार द्वारा कथित रूप से दायर अपील पूरी तरह से असंगत है क्योंकि धारा 38-ई के संदर्भ में स्वामित्व प्रमाण पत्र देने के बाद

किरायेदारी अधिनियम, संरक्षित किरायेदारों को मालिक माना जाता है। एक बार जब संरक्षित किरायेदारों को मालिक माना जाता है, तो वहाँ

के रूप में कोई अधिभोग अधिकार प्रमाणपत्र नहीं हो सकता

खरीददारों को धारा 38-ई के तहत स्वामित्व प्रमाण पत्र के अनुदान के आधार पर उनके स्वामित्व से वंचित कर दिया गया था।

किरायेदारी अधिनियम। इस तरह के प्रमाण पत्र पर भी खरीदारों द्वारा विवाद नहीं किया गया था। इसलिए, संरक्षित किरायेदारों का स्वामित्व पूर्ण है और स्वामित्व स्पष्ट रूप से उनके पास निहित है।

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय का विवादित आदेश किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत। इसलिए, यह विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे

1 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 851